रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 361] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 3, 1981/श्रावण 12, 1903

No. 361] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 3, 1981/SRAVANA 12, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1981

का० आ० 620—(अ)/18 एफ ए/आई डी आर ए/81.—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 422 (अ), तारीख 5 अगस्त, 1975 (जिसे इसमें आगे उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के निकाय को मैसर्स एंजिल इण्डिया मशीन एण्ड टूल्स लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम का (जिसे इसमें इसके आगे उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) 5 अगस्त, 1975 से 5 वर्ष की अवधि के लिये प्रबन्ध ग्रहण करने के लिये प्राधिकृत किया था।

और केन्द्रीय सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) ने अपने आदेश सं० का०आ० 292(अ), तारीख 16 मई, 1979 द्वारा सचिव, वस्त्र और रुग्ण उद्योग विभाग पश्चिमी बंगाल सरकार (जिसे इसमें इसके आगे प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है) को पूर्वोक्त व्यक्तियों के निकाय से उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध 5 अगस्त 1975 से पाँच वर्ष की अवधि तक ग्रहण करने के लिये प्राधिकृत किया था।

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 603(अ), तारीख 1 अगस्त, 1980 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 4 अगस्त, 1981 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, बढ़ाई गई थी।

और केन्द्रीय सरकार की यह राय होने पर कि लोकहित में यह समीचीन है कि औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध प्राधिकृत व्यक्ति के पास एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि तक बना रहे, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951(1951 का 65) की धारा 18 क की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन उस प्रभाव की अनुज्ञा के लिये निवेदन करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक आवेदन करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक आवेदन किया था और उक्त उच्च न्यायालय ने तारीख 20 जुलाई, 1981 के अपने आदेश द्वारा उक्त अनुज्ञा दे दी थी।

अतः, केन्द्रीय सरकार, उद्योग(विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951(1951 का 65) की धारा 18 क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश करती है कि उक्त आदेश एक वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा।

[फा०सं० 2(17)/80-सी०यू०एस०]

सी०के० मोदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 3rd August, 1981

S.O. 620(E)|18FA|IDRA|81.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 422(E) dated the 5th August 1975 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government authorised the body of persons specified in that Order to take over the industrial undertaking known as the Messrs. Engel India Machine and Tools Limited, Calcutta (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) for a period of 5 years from the 5th August 1975;

And whereas the Central Government in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) in its Order No. S.O. 292(E), dated the 16th May, 1979, authorised the Secretary, Closed and Sick Industries Department of the Government of West Bengal (hereinafter referred to as the authorised person) to take over the management of the said industrial undertaking from the aforesaid body of persons for the remaining period of five years from the 5th August, 1975;

And whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 603(E) dated the 1st August, 1980, the duration of the said Order was extended upto and inclusive of 4th August, 1981 ;

And whereas the Central Government, being of the opinion that it is expedient in the public interest that the authorised person should continue to manage the said industrial undertaking for a further period of one year, made an application to the Calcutta High Court praying for permission to that effect, under the proviso to sub-section (2) of section 18FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) and that the said High Court has, by its Order dated the 20th July, 1981, granted the said permission.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said order shall continue to have effect for a further period of one year.

[F. No. 2(17)|80-CUS]

C. K. MODI, Jt. Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATION, DELHI-110054, 1981